ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर

पूर्ण सुरक्षित आवासीय महिला विश्वविद्यालय

जानकी

एसिड अटैक और भारत में कानून

नही सहना है अब किसी का अत्याचार, महिला सशक्तिकरण का यही है मुख्य विचार।

अपराध कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे भगवान ने बनाया हैय इसे मनुष्य ने ही बनाया है। आज हम जिस हीनियस अपराध का सामना कर रहे हैं, उसके लिए केवल मनुष्य ही जिम्मेदार है। अपराध कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे लिए नई हो बल्कि अपराध करने के तरीके में सुधार किया गया है। शहरी क्षेत्रों में एक समय था, जब लोग घर के कामों में एसिड का इस्तेमाल करते थे लेकिन अब एसिड का इस्तेमाल दूसरे तरीकों से भी किया जा रहा है और अब इसे लोगों के जीवन को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल में लिया जा रहा है।

अनुच्छेदः 39, 14, 22(1) के अनुसार,

तालुका कानूनी सहायता कमिटी

–जिला कानूनी सहायता कमिटी

–राज्य कानूनी सहायता कमिटी

ये कमिटी लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करती है।

Address : **Vedant Gyan Valley, Vill. Jharna, Mahla-Jobner Link Road, Jaipur-Ajmer Express Way, NH-8, Jaipur - 303122 (Raj.) INDIA**

जेवीएन वेदान्त गर्ग
सलाहकार एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी
ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर
जेवीएन डॉ. संजय छाबड़ा, डीन लॉ एण्ड गोवरनेन्स
जेवीएन डॉ. बिना दिवान, संचालक, लॉ एण्ड गोवरनेन्स
डिजाइन एण्ड एडिटोरियल,
जेवीएन हर्षल भास्कर काले जेवीएन विक्रम सिंह जेवीएन ओमप्रकाश कुमावत
स्टूडेन्ट कोर्डिनेटर, (बी ए एलएलबी 3सेम)
जेवीएन जारा खान जेवीएन अल्फा वरून जेवीएन नेहा जेवीएन शालू टेलर जेवीएन प्रीयान्सी गर्ग

हा हा हा हाहाहाहाहा .....
मेरी नहीं तो
किसी और कि भी नहीं
हाहाहा ..... चलो!

बचाओं– बचाओं .....

एसिड अटैक दंड संहिता

सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट को एसिड अटैक पीड़िता को, चिकित्सा उपचार (मेडिकल ट्रीटमेंट) और देखभाल के बाद पुनर्वास (रिहेबिलिटेशन) के लिए 3 लाख रुपये देने का निर्देश दिया और एक घटना के 15 दिनों के भीतर 1 लाख और उसके बाद दो महीने के भीतर शेष राशि का भुगतान करने को कहा। स्टॉप एसिड अटैक के फाउंडर आलोक दीक्षित का कहना है कि इससे जो अच्छी बात सामने आई है, वह मुआवजा (कंपनसेशन) है और वह उन लड़कियों के लिए है जिन पर भविष्य में हमला हो सकता है।

धारा 326 ए, 326 बी (भारतीय दंड संहिता) एसिड अटैक से सम्बन्धित है।

भारत में "राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपराओं की रोकथाम जैसेः एसिड अटैक विधेयक, 2008" जारी किया गया है। इस केस में भी इसी तरह न्याय प्रदान किया गया हैं मनीशा बनाम मालेश्वर राज्य (22 जुलाई 2021) लक्ष्मी अग्रवाल को भी इसी तरह न्याय प्रदान किया गया।

हाय! मैं क्या करूं मेरे पास तो अपने इलाज के लिए पैसा भी नहीं है मै अपना इलाज कैसे करवाऊँ और न्या कैसे माँगू!

अरे जानकी बेटा! इतनी परेशान मत हो! हमारी मदद के लिए एक कैम्प लगा है पास वाले गाँव में जो कि लोगो का कानूनी सम्बन्धित जानकारियों से जागरूक करता है।

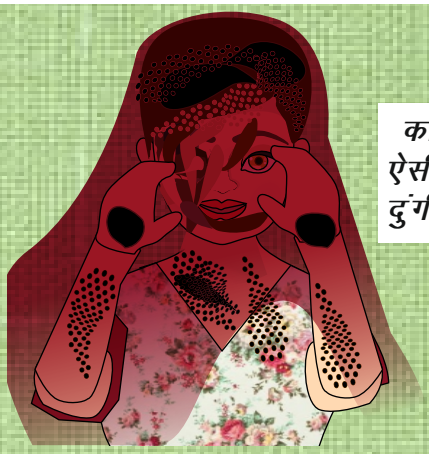

कानूनी जानकारिया है। तो में अपने न्याय के लिए लडूंगी और किसी नारी के ऐसी दुर्घटना ना हो इसलिए में लडूंगी किसी और की जिन्दीगी बर्बाद नहीं होने दुंगी चलो चलते है माँ।

चलो! माँ वहीं चलते हैं क्या पता वहीं हमारी कुछ मदद कर दे।

लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, के प्रमुख मामले के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों में एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पास किया। एसिड हमलों को रोकने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने रासायनिक (केमिकल) की खुली बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी, जब तक कि विक्रेता खरीदार के पते और अन्य विवरण (डिटेल्स) और मात्रा की रिकॉर्डिंग नहीं रखता है। खरीदार द्वारा डीलर को, सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र दिखाने और खरीद के उद्देश्य को निर्दिष्ट करने के बाद ही अब डीलर रसायन बेच सकते हैं। विक्रेता को लेन–देन के तीन दिनों के भीतर बिक्री का विवरण स्थानीय पुलिस को प्रस्तुत करना चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को एसिड नहीं बेचा जाना चाहिए और सभी स्टॉक को स्थानीय सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.) के पास 15 दिनों के भीतर घोषित किया जाना चाहिए। अघोषित (अनडिक्लेयरड) स्टॉक जब्त किया जा सकता है और डिफॉल्टर पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एसिड अटैक अब एक नॉनबेलेबल और कॉग्निजेबल अपराध है।22 साल की लक्ष्मी, जो एसिड अटैक सर्वाइवर थी, 2005 में दिल्ली के टोनी खान मार्केट में बस का इंतजार कर रही थी, जब दो लोगों ने उस पर एसिड फेंक दिया, क्योंकि उसने उनमें से एक को शादी करने से इनकार कर दिया था, जिससे वह विकृत हो गई। हालांकि पीड़िता और उसके माता–पिता गरीब थे, लेकिन उन्हें सौभाग्य से एक हितैषी (बेनेफेक्टर) ने मदद की, जिसने लगभग 2.5 लाख रुपए का खर्च उठाया। हालाँकि, 4 प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी, पीड़िता की शारीरिक बनावट भयावह बनी हुई थी और उसकी शारीरिक बनावट को वैसा ही बनाने के लिए कई और सर्जरी की आवश्यकता थी। बेशक पीड़िता कभी भी वैसी नहीं दिख सकती जैसी वह अटैक से पहले थी।

Address : Vedant Gyan Valley, Vill. Jharna, Mahla-Jobner Link Road, Jaipur-Ajmer Express Way, NH-8, Jaipur - 303122 (Raj.) INDIA

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. बीना दीवान के नेतृत्व में और कुछ विद्यार्थियों के साथ लोगों को कानून से सम्बन्धित जानकारियों के लिए कैम्प लगाया गया है।

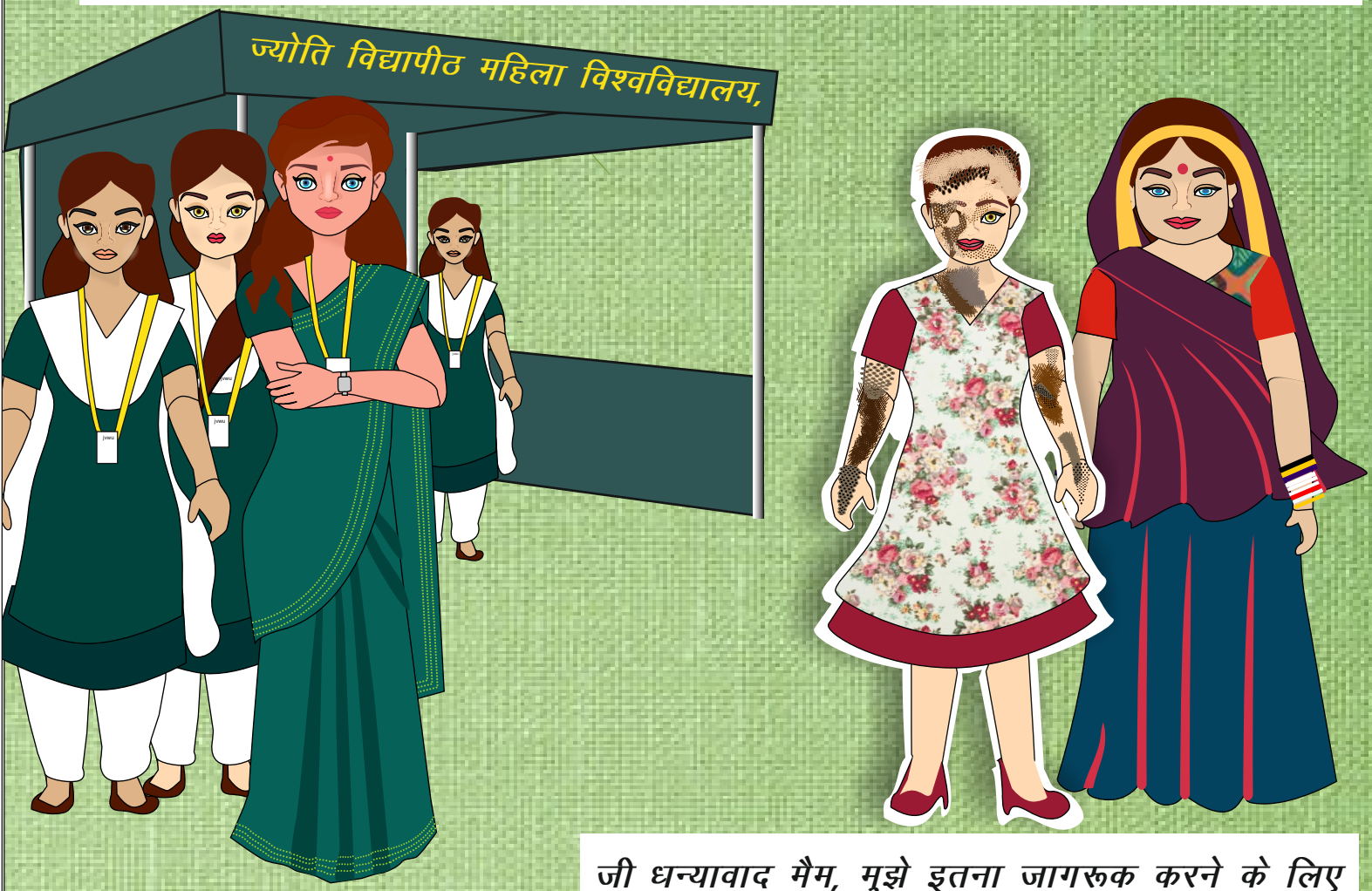

जी धन्यावाद मैम, मुझे इतना जागरूक करने के लिए

जानकी बेटा तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम निःशुल्क विधिक सहायता के लिए अदालत में पी.आई.एल दर्ज करवा सकती हों, और न्याय पा सकती

एसिड बेचने और विवरण प्रतिबंध

आदेश के आधार पर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक सलाह जारी की कि कैसे एसिड की बिक्री को विनियमित किया जाए और विष अधिनियम, 1919 के तहत मॉडल विष कब्जा और बिक्री नियम, 2013 (Model Poisons Possession and Sale Rules] 2013) तैयार किया जाए। परिणामस्वरूप राज्यों को मॉडल नियमों के आधार पर अपने स्वयं के नियम बनाने के लिये कहा गया क्योंकि मामला राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता था।डेटा का रखरखावरू एसिड की ओवर–द–काउंटर बिक्री (बिना किसी वैध नुस्खे के) की अनुमति नहीं थी, जब तक कि विक्रेता एसिड की बिक्री को रिकॉर्ड करने वाली लॉगबुकध्रजिस्टर नहीं रखता।

आयु प्रतिबंध और दस्तावेजीकरणरू बिक्री केवल सरकार द्वारा जारी पते वाली एक फोटो पहचान पत्र की प्रस्तुति पर की जानी है। खरीदार को यह भी साबित करना होगा कि उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। एसिड स्टॉक की जब्तीरू विक्रेता को 15 दिनों के भीतर और एसिड के अघोषित स्टॉक के मामले में संबंधित उप–विभागीय मजिस्ट्रेट (Sub&Divisional Magistrate& SDM) के साथ एसिड के सभी स्टॉक की घोषणा करनी होगी।ैक्ड स्टॉक को जब्त कर सकता है और किसी भी दिशा–निर्देश के उल्लंघन के लिये उपयुक्त रूप से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। इस लॉगबुक में एसिड बेचने वाले व्यक्ति का विवरण, बेची गई मात्रा, व्यक्ति का पता और एसिड खरीदने का कारण भी शामिल होना था।

Address : Vedant Gyan Valley, Vill. Jharna, Mahla-Jobner Link Road, Jaipur-Ajmer Express Way, NH-8, Jaipur - 303122 (Raj.) INDIA